

E-17

फत्रावली पेशा डुरी वकील वारी उपस्थित बहस प्रथमा  
पर सुना गया तथा फत्रावली में प्रविष्टी क्रम १ व ३  
के किन्हीं कोर्ड रिलिफ नहीं चाही गई है पूर्व में  
दिनांक १-६-१७ को दिया गया स्थगन आदेश को कन्फर्म  
किया जाता है फत्रावली फेसल शुमार लेकर नम्बर  
से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक १३-८-१७ को खुले न्यायालय में  
सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
गान्धेय

6